प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/ 238 दिनांक 29/8/19

विषय–वर्ष 2020 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1380/पन्द्रह–7–2019–1(31)/2019 दिनांक 28 अगस्त, 2019 (छायाप्रति संलग्न) जो आपको भी पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष 2020 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रक्रिया से कराये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त विद्यालयों से सम्बन्धित आधारभूत सूचना परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराकर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में उल्लेखनीय है कि **माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 17–06–2019 को आयोजित माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देश के अनुसार वर्ष 2020 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में और सुधार एवं पारदर्शिता की आवश्यकता के दृष्टिगत केन्द्र निर्धारण हेतु सही व त्रुटिरहित मूल–भूत आंकाड़ों को अपलोड कराया जाना अनिवार्य है।** उक्त निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश द्वारा वांछित प्रदेश के समस्त विद्यालयों से सम्बन्धित आधारभूत सूचनाएं/आंकड़े जनपद के समस्त प्रधानाचार्यो को निर्देशित कर निर्धारित तिथि तक परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात शासनादेश में विहित व्यवस्थानुसार विद्यालयों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त अपनी अभ्युक्ति सहित आख्या/सूचना परिषद कार्यालय को निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। **इस क्रम में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि अपलोड की जाने वाली आधारभूत सूचनाओं से सम्बन्धित आंकड़े त्रुटिरहित हो।** परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी आंकड़ों में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पायी जाती है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य, जांच अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा।

संलग्न–शासनादेश की प्रति।

भवदीय,

(**नीना श्रीवास्तव**)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–मा0शि0प0/केन्द्रस्थापना/सोलह/ 238–3 दिनांक– 29/8/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1– उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, सचिवालय, लखनऊ को शासनादेश संख्या 1380/पन्द्रह–7–2019–1(31)/2019 दिनांक 28 अगस्त, 2019 के अनुपालन में।

2– वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, मा0शि0प0, उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय लखनऊ।

3– अपर सचिव, मा0शि0प0, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी तथा गोरखपुर को शासनादेश संख्या 1380/पन्द्रह–7–2019–1(31)/2019 दिनांक 28 अगस्त, 2019 की प्रति संलग्न करते हुए इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने परिक्षेत्र के जनपदों के विद्यालयों के सम्बन्ध में परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गयी आधारभूत/अवस्थापना सम्बन्धी सूचनाओं का प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

29.8.19

(**नीना श्रीवास्तव**)
सचिव।

संख्या–1380 / पन्द्रह–7–2019–1(31) / 2019

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र, लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊ दिनांकः 28 अगस्त, 2019

विषयः– वर्ष 2020 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र, लखनऊ के पत्र संख्या–मा0शि0प0 / केन्द्रस्थापना / डी0ई0 / 226, दिनांक 16.08.2019 तथा सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या–मा0शि0प0 / केन्द्रस्थापना / सोलह / मेमो, दिनांक 19.08.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वर्ष 2020 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नीति निर्धारित किये जाने कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1– विद्यालय का प्रकार –

(क) विद्यालय हाईस्कूल स्तर तक संचालित है अथवा इण्टर स्तर तक – हाईस्कूल / इण्टर

(ख) हाईस्कूल स्तर तक विद्यालय को किस प्रकार की मान्यता प्राप्त है–

A-शासकीय / B- सहायता प्राप्त / C - वित्तविहीन विद्यालय।

(ग) इण्टर स्तर तक के विद्यालय को इण्टर की किस प्रकार की मान्यता प्राप्त है –

A-शासकीय / B- सहायता प्राप्त / C - वित्तविहीन विद्यालय / D- आंशिक रूप से सहायता प्राप्त आंशिक रूप से वित्तविहीन विद्यालय।

(घ) विद्यालय बालक विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त है अथवा बालिका विद्यालय के रूप में?

M- बालक विद्यालय / F- बालिका विद्यालय

(ड.) विद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित है अथवा ग्रामीण क्षेत्र में ?

U- शहरी क्षेत्र / R- ग्रामीण क्षेत्र।

(च) क्या विद्यालय समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति का आवासीय विद्यालय है? हॉ / नहीं

(छ) क्या विद्यालय के ऊपर से कोई हाईटेंशन विद्युत तार गया है? हॉ / नहीं

(ज) क्या विद्यालय दो भागों में बना है? हॉ / नहीं

(झ) क्या विद्यालय के मध्य कोई मुख्य सड़क या सम्पर्क मार्ग बना हुआ है? हॉ / नहीं

2– एक ही प्रबन्ध तंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों के कोड एवं नाम –

क्रम	प्रबन्धक का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड

नोट–एक ही प्रबन्धक द्वारा संचालित **समस्त** विद्यालयों का विवरण अंकित किया जाय।

3– प्रबन्धतंत्र में विवाद वाले विद्यालयों की सूचना :–

क्रम	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड

नोट– प्रबन्धतंत्र में विवाद वाले **समस्त** विद्यालयों की सूचना अंकित की जाय।

DK GO

4– विद्यालय की धारण क्षमता –

विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन युक्त लिण्टर्ड शिक्षण कक्षों (प्रयोगशाला कक्ष, स्टाफ कक्ष प्रधानाचार्य कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, क्रीड़ा कक्ष को छोड़कर) में उपलब्ध फर्नीचर के सापेक्ष एक मीटिंग की परीक्षा में नियमानुसार व्यवस्थित रूप से बैठकर परीक्षा दे सकने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अर्थात विद्यालय की धारण क्षमता (शिक्षण कक्षों में परीक्षा देने हेतु 01 परीक्षार्थी हेतु 20 वर्गफीट का क्षेत्रफल निर्धारित है) ––

5– एक ही परिसर में यदि एक प्रबन्धक की दो या अधिक संस्थाएं (सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त विद्यालय) या डिग्री कालेज संचालित हैं, तो इनके शिक्षण कक्ष आदि को इस विद्यालय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6– विद्यालय में उपलब्ध पक्के/लिंटर्ड शिक्षण कक्षों का विवरणः–

कम	साइज (मीटर में)	कक्षों की संख्या	एरिया	छात्र संख्या

नोट–शिक्षण कक्षों की संख्या में पुस्तकालय कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, वैकल्पिक कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, कामन कक्ष को सम्मिलित नहीं किया जाय।

7– विद्यालय के शिक्षण कक्षों में DVR सहित सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगे होने का विवरणः––

कम	सी0सी0टी0वी0 कैमरो की स्थिति के अनुसार शिक्षण कक्षों का विवरण	शिक्षण कक्षों संख्या	नार्मल सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे कक्षों की संख्या	आई पी बेस्ड कैमरा लगे शिक्षण कक्ष की संख्या	बेवकास्टिंग हेतु राउटर लगा है		4G इन्टरनेट कनेक्शन लगा है	
					हॉ	नहीं	हॉ	नहीं
1	एक ओर डी0वी0आर0 सहित सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगे शिक्षण कक्ष							
2	दोनों ओर डी0वी0आर0 सहित सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगे शिक्षण कक्ष							
3	वायस रिकार्डर युक्त एक ओर डी0वी0आर0 सहित सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगे शिक्षण कक्ष							
4	वायस रिकार्डर युक्त दोनो ओर डी0वी0आर0 सहित सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगे शिक्षण कक्ष							
5	सी0सी0टी0वी0 कैमरा नहीं लगे शिक्षण कक्ष							

नोटः i- वायस रिकार्डर युक्त डी0वी0आर0 सहित सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकार्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिन की होनी अनिवार्य है।

ii- पारदर्शितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराये जाने एवं उसकी वेवकास्टिंग द्वारा मानिटरिंग किये जाने के उद्देश्य से वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे के DVR के साथ राऊटर डिवाइस लगाये जाने वाले विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने में वरीयता प्रदान की जायेगी।

8– क्या विद्यालय में प्रश्नपत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा हेतु सुरक्षित लोहे की आलमारियों की व्यवस्था है ?

हॉ/नहीं

9– क्या विद्यालय में अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था है? हॉ/नहीं

10– अग्निशमन उपकरणों के प्रमाण पत्र का अग्निशमन विभाग से नवीनीकरण कराया गया है या नहीं ? हॉ/नहीं

11– क्या विद्यालय सड़क/मुख्य सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है? जिससे कि वहाँ वाहन द्वारा आसानी से पहुंचकर प्रश्नपत्रों की गोपनीयता आदि की जांच की जा सके तथा नकल विहीन परीक्षाओं का पर्यवेक्षण सुगमता से किया जा सके ? हाँ/नही

12– क्या विद्यालय के चारों ओर सुरक्षित चाहर दीवारी है एवं मुख्य प्रवेश द्वार पर गेट लगा है? हाँ/नहीं।

13– क्या विद्यालय में विद्युत का स्थाई कनेक्शन है? हाँ/नहीं

14– क्या विद्यालय में स्थाई विद्युत व्यवस्था न होने की स्थिति में पूरे परीक्षाकाल में जेनरेटर की व्यवस्था की जायेगी? हाँ/नहीं

15– क्या विद्यालय के सभी अध्यापकों/कर्मचारियों/छात्र/छात्राओं की प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाती है? हॉ/नहीं

16– क्या विद्यालय के मुख्य गेट पर वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा है? हॉ/नहीं

17– स्ट्रांग रूम जहॉ प्रश्नपत्र सुरक्षित रखे जाते है वहॉ वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगे होने की स्थिति–

क–सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा है। हॉ/नहीं

ख–वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा है हॉ/नहीं

18– उत्तर पुस्तिकाओं के सीलिंग/पैकिंग रूम में वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगे होने की स्थिति–

क– सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा है। हॉ/नहीं

ख– वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा है हॉ/नहीं

19– क्या विद्यालय में अध्ययन/अध्यापन सी0सी0टी0वी0 कैमरें की निगरानी में होता है? हॉ/नहीं

20– क्या विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है? हॉ/नहीं।

21– क्या विद्यालय में बालक/बालिकाओं हेतु अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था है? हॉ/नहीं

क–बालक शौचालयों की संख्या––

ख–बालिका शौचालयों की संख्या––

22– क्या विद्यालय में परीक्षाकाल के दौरान परीक्षाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनायें बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु एक सम्पूर्ण कम्प्यूटर सिस्टम एवं दो दक्ष कम्प्यूटर आपरेटरों की व्यवस्था है? हॉ/नहीं

23– प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में तैनात शिक्षकों एवं कर्मचारियों का सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाय, जिसकी पुष्टि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापनोपरान्त की जाय।

क्रम	शिक्षक/कर्मचारी का नाम	शैक्षिक योग्यता	विद्यालय में कार्यरत होने की तिथि	अध्यापन का विषय/कार्य	जि0वि0नि0 द्वारा पुष्टित
1	2	3	4	5	6

24– डिबार विद्यालयों को छोड़कर जनपद में क्या कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां विगत **वर्ष 2019** की परीक्षा में गम्भीर अनियमिततायें की गई हों अथवा वहाँ हिंसात्मक घटनायें हुई हों अथवा सचलदल/पर्यवेक्षण अधिकारियों के नकल विहीन परीक्षा कराने के प्रयासों में अवरोध उत्पन्न किया गया हो, अथवा उनके साथ अभद्रता की गई हो, जिसके कारण इन्हें डिबार करने की संस्तुति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गयी है:–

क्रम	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	डिबार करने हेतु संस्तुति का कारण संस्तुति भेजने की तिथि

25– क्या प्रधानाचार्यो द्वारा अपलोड की गयी विद्यालयों की उपरोक्त आधारभूत सूचनाओं को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विशेषकर विद्यालयों के मध्य की दूरी एवं उनकी धारण क्षमता विषयक सूचना का सतर्कतापूर्वक परीक्षण करने के पश्चात भलीभॉति आश्वस्त होने के उपरान्त ही समस्त सूचनाओं को प्रमाणित किया गया है? हॉ/नहीं

26– परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण सम्पर्क मार्ग से 05 कि0मी0, 10 कि0मी0, तथा 15 कि0मी0 की परिधि में निर्धारित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय से सम्पर्क मार्ग से न्यूनतम दूरी के अनुसार 05, 10, तथा 15 किमी की परिधि में आने वाले विद्यालयों के कोड्स एवं नाम –

(क) 00 से 05 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त विद्यालयों का विवरणः–

क्रम	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड

(ख) 05 से 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त विद्यालयों का विवरणः–

क्रम	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड

(ग) 10 से 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त विद्यालयों का विवरणः–

क्रम	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड

(घ)–विषम भौगोलिक क्षेत्र हेतु जहॉ 15 कि0मी0 की परिधि में कोई विद्यालय मौजूद नहीं है वहॉ 15 से अधिकतम् 20 कि0मी0 की परिधि में स्थित विद्यालयों का विवरणः–

क्रम	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड

नोट– विद्यालयों के मध्य दूरी की सूचना विद्यालयों की मैपिंग/जिओ टैगिंग कराकर की जायेगी। विद्यालयों की मैपिंग/जिओ टैगिंग कराने हेतु परिषद द्वारा तैयार कराये गये मोबाइल एप से विद्यालयों द्वारा गत वर्ष की भॉति स्वयं मैपिंग करना होगा। यह एप परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर सभी विद्यालयों के पैनल पर उपलब्ध है। सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यो का यह दायित्व होगा कि वे इस एप को अपने स्मार्ट एन्ड्रायड फोन में डाउनलोड कर लें, तत्पश्चात अपने विद्यालय के प्रांगण में जाकर इस एप में विद्यालय की यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड के द्वारा लागइन करेंगे, जिससे उनके विद्यालय की मैपिंग सुनिश्चित हो सके। इस मैपिंग द्वारा विद्यालय का अक्षांश एवं देशान्तर परिषद की वेबसाइट के सर्वर पर स्वतः दर्ज हो जायेगा।

मोबाइल एप द्वारा विद्यालयों की जियो मैपिंग हेतु मोबाइल में इन्टरनेट का नेटवर्क होना अनिवार्य है। यदि किसी के मोबाइल में उसके अपने मोबाइल इन्टरनेट प्रदाता के इन्टरनेट का नेटवर्क कार्य नहीं कर रहा है अथवा वह अत्यन्त स्लो है तो वह किसी दूसरे के मोबाइल के वाई–फाई नेटवर्क का प्रयोग कर अपने मोबाइल से एप का प्रयोग कर सकता है।

27– वर्ष 2020 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु विद्यालयों से सम्बन्धित उपरोक्त आधारभूत सूचनाओं को जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यो द्वारा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर **दिनांक 06–09–2019** तक अनिवार्य रूप से अपलोड कराया जाना अनिवार्य होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि विद्यालयों द्वारा अपलोड की गयी सूचनाओं की प्रति सप्ताह अपने स्तर से समीक्षा करते रहें, जिससे निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व समस्त विद्यालयों की आधारभूत सूचनाएं अपलोड हो जाय।

28– यदि किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित **तिथि 06–09–2019** तक विद्यालय से सम्बन्धित समस्त आधारभूत सूचनाएं/आंकड़ो को परिषद की बेवसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता है तो

सम्बन्धित प्रधानाचार्य को जिम्मेदार ठहराते हुए विद्यालय को परीक्षा केन्द्र पात्रता लिस्ट से बाहर कर दिया जाय एवं प्रधानाचार्य के विरूद्ध परिषदीय नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। इस हेतु प्रबन्धतंत्र को भी उत्तरदायी बनाया जाय।

29– प्रधानाचार्यो द्वारा अपलोड की गयी आधारभूत सूचनाओं को समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा वेबसाइट से उसका प्रिंट निकालकर विद्यालयों को तहसीलवार विभाजित करके जनपद में तैनात राजकीय इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, सह जिला विद्यालय निरीक्षक तथा स्वयं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भलीभांति गहन रूप से स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन किया जायेगा। विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के उपरान्त निरीक्षण आख्यानुसार विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधन युक्त आधारभूत सूचनाओं को प्रमाणित करते हुए प्रत्येक दशा में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा **दिनांक 30–09–2019** तक ऑनलाइन अपलोड/अपडेट किया जायेगा।

30– जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा ऑनलाइन प्रमाणित/अपडेट की गई सूचनाओं पर यदि किसी प्रधानाचार्य को आपत्ति है तो वह जनपद के मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को दिनांक **05–10–2019** तक अपनी आपत्ति देंगें। प्राप्त आपत्तियों की वास्तविकता का जांचोपरान्त निराकरण मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा **दिनांक 10–10–2019** तक जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से कराया जायेगा। **दिनांक 15–10–2019** तक अन्तिम रूप से आधारभूत सूचनाओं को अपडेट कराना एवं अभ्युक्ति सहित आख्या/सूचना की प्रमाणित प्रति परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

31– परिषद की वेबसाइट पर संस्था/विद्यालय के प्रधानाचार्यो द्वारा ऑनलाइन अपलोड की गयी एवं जिला विद्यालय निरीक्षको द्वारा स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन के उपरान्त अपडेट/प्रमाणित की गयी विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधन युक्त आधारभूत सूचनाओं के आधार पर ही ऑनलाइन प्रकिया द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किया जायेगा। अतः आधारभूत आंकड़ों को पूर्णतः सही–सही भरा जाना अनिवार्य है। पूरित/भरे गये प्रमाणित आधारभूत आंकड़ों के आधार पर परिषद कार्यालय द्वारा ऑनलाइन निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन एवं संशोधन वांछनीय नही होगा। यदि ऑनलाइन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में किसी प्रकार की विसंगति पायी जाती है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/जॉच अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा, और उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा विद्यालय को 01 वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र बनाने से डिवार कर दिया जाएगा।

2– अतः वर्ष 2020 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑनलाइन किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें। परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने की दशा में सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

भवदीया,

28.08.19

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
2– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 द्वारा शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0, लखनऊ।
3– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 द्वारा शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बी0बी0 सिंह)
उप सचिव।

DK GO